[2021] 7 एस. सी. आर. 1111

सलुजा निर्माण कंपनी

बनाम

उत्तरी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(दीवानी अपील संख्या 7041/2021)

25 नवंबर, 2021

[न्यायमूर्ति एम**.**आर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना**]**

मध्यस्थता - उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को अनुचित ठहराते हुऐ खारिज किया । अपील में कहाःतथ्यों पर, मध्यस्थ को केवल एक परियोजना (बीना परियोजना) के संबंध में पक्षों के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन और निर्णय करने की आवश्यकता थी-हालांकि, मध्यस्थ ने न केवल बीना परियोजना से संबंधित विवाद के संबंध में बल्कि अन्य परियोजनाओं के संबंध में भी एक निर्णय पारित किया-इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि मध्यस्थ ने पंच-निर्णय देते समय चार अनुबंधों के संबंध में निर्णय पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया जबकि उसी समय, उच्च न्यायालय को कम से कम बिना परियोजना के संबंध में मध्यस्थ द्वारा दिए गए दावे/राशि की पुष्टि करनी चाहिए थी-उच्च न्यायालय के आदेश को तदानुसार उस हद तक संशोधित किया गया-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-एस।2 (ए), 8,20 और 37 ।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 7041 की 2021

ए.ए सं. 30 के में 2012 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के दिनांकित 02.01.2018 के निर्णय और आदेश से।

पीजूष के. रॉय, श्रीमती काकली रॉय, राजन के. चौरसिया, अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए।

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, अश्विनी कुमार दुबे, पंकज शर्मा, क्षितिज मुद्गल, सुश्री दीपिका कालिया, सातविक मिश्रा, कपिश सेठ, अश्विनी कुमार उपाध्याय, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

<u>आदेश</u>

अनुमति दी गई।

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित दिनांक 02.01.2018 के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस कर जबलपुर में 2012 के ए.ए सं.30 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 37 के तहत दायर उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को रद्द कर दिया है, मूल दावेदार ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. अपीलार्थी को बीना में 100 बी-टाइप क्वार्टरों के निर्माण का अनुबंध दिया गया था (जिसे इसके बाद बीना परियोजना के रूप में संदर्भित किया गया। 11.01.1986 पर पक्षों के बीच एक समझौता किया गया था। बीना परियोजना के संबंध में दोनों पक्षों के बीच बीना परियोजना सम्बन्धी विवाद पैदा हो गया। ठेकेदार ने समझौते के अनुच्छेद 9 के तहत केवल बीना परियोजना के संबंध में एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए एक नोटिस जारी किया । प्रत्यर्थी ने ठेकेदार के दावे को खारिज कर दिया । अपीलार्थी ने रु 2,23,215/- का बिल बनाया और फिर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8/20 के तहत समझौता दायर करने और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि प्रासंगिक समय पर विवाद केवल बीना परियोजना से संबंधित कार्य के संबंध में था। हालाँकि, विद्वान मध्यस्थ के समक्ष, अन्य सहायक परियोजनाओं के संबंध में जैसे 'अमलोहरी परियोजना' और 'झिंगुरदा परियोजना'के संबंध में सहयोगी संस्थाओं के संबंध में दावा किया गया था। विद्वान मध्यस्थ ने बीना परियोजना के संबंध में विवाद के अलावा अन्य समझौतों/अनुबंधों से संबंधित विवाद के संबंध में भी एक निर्णय पारित किया। विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अपील खारिज कर दी गई, जिसके खिलाफ प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 37 के तहत अपील की।यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान मध्यस्थ को केवल बीना परियोजना से संबंधित अनुबंध के लिए नियुक्त किया गया था और बीना परियोजना से संबंधित समझौते को

विद्वान मध्यस्थ के समक्ष दायर किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (ए), 8 और 20 के अनुसार, अनिवार्यत एक लिखित समझौते के संबंध में विवाद का फैसला करना था जो मध्यस्थ के समक्ष दायर किया गया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान मध्यस्थ ने चार अनुबंधों के संबंध में निर्णय पारित करने आधिकारिक सीमा का अतिक्रमण किया है। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है और विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को समाप्त कर रद्द कर दिया है।

3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, ठेकेदार ने वर्तमान अपील दायर की है।

4. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष के. रॉय और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह को सुना है।

5. हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अध्ययन किया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8/20 के तहत आवेदन अपीलार्थी-सलुजा कंस्ट्रक्शन कंपनी-एक साझेदारी फर्म द्वारा दायर किया गया था, जो केवल बीना परियोजना में 100 बी-टाइप क्वार्टरों के निर्माण के अनुबंध के संबंध में था। बीना परियोजना के संबंध में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच समझौता मध्यस्थता अधिनियम के 8/20 के तहत आवेदन में प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, विद्वान मध्यस्थ को केवल बीना परियोजना के संबंध में पक्षों के बीच विवाद का सुलझाने और निर्णय लेने की आवश्यकता थी। हालाँकि, विद्वान मध्यस्थ ने न केवल बीना परियोजना से संबंधित विवाद के संबंध में, बल्कि अन्य परियोजनाओं के संबंध में भी एक पंच-निर्णय पारित किया, जो न केवल अपीलार्थी के साथ बल्कि सहयोगी संस्थाओं के साथ भी था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अवलोकन किया है और अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थ ने पुरस्कार का आदेश देते समय 4 अनुबंध/अनुबंधों के संबंध में पुरस्कार पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।इसलिए, उच्च न्यायालय बीना परियोजना के अलावा अन्य अनुबंधों के संबंध में बकाया/दावों के संबंध में विद्वान मध्यस्थ द्वारा निर्णय पारित को निरस्त करने और रद्द करने को सही

ठहराया है जो अन्य परियोजनाओं/ठेकेदारों के साथ अनुबंध सहयोगी संस्थाओं द्वारा हो सकते हैं ।

6. हालाँकि, साथ ही, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करने में सही हैं कि उच्च न्यायालय को कम से कम बीना परियोजना के संबंध में विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए दावे/राशि की पुष्टि करनी चाहिए थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने बीना परियोजना के संबंध में पंच-निर्णय विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पूरे पंच-निर्णय को रद्द कर दिया है।इसलिए, उस हद तक वर्तमान अपील को आंशिक रूप से अनुमति देने की आवश्यकता है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को उस हद तक संशोधित करने की आवश्यकता है, जब बीना परियोजना के अलावा अन्य परियोजनाओं/अन्य अनुबंधों के संबंध में दावों के संबंध में विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर दिया जाए।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पूरे निर्णय और पुरस्कार को रद्द कर दिया जाता है। बीना परियोजना के संबंध में दावों को छोड़कर विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार रद्द करने और अलग रखने की आवश्यकता थी और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। अर्थात् बीना परियोजना के संबंध में विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पंच-निर्णय अर्थात रु 5,99,158/- की पुष्टि की जाती है। बीना परियोजना के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने और रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा सही माना जाता है। हम उसी की पुष्टि करते हैं। यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी ने विद्वान मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि का 50 प्रतिशत जमा कर दिया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार राशि जमा किए जाने तक विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ जो भी राशि रु 5,99,158/- से अधिक जमा की गई है, अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को वापस कर दी जाए, यदि अपीलार्थी द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा

की जाती है और वापस ली जाती है। वर्तमान अपील को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के कारण खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं ।

बिभूति भूषण बोस अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।